नईदुनिया
इंदौर, भोपाल (नवदुनिया), जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर और दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय संस्करण) से एकसाथ प्रकाशित
इंदौर, शुक्रवार 01 दिसंबर 2017

फॉर्म नं. आरएससी-4

[(राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण (कंपनी की अंश पूँजी की कमी हेतु प्रक्रिया) नियम, 2016 के नियम 3(3) के अनुसार)]

राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण, अहमदाबाद खंडपीठ के समक्ष

कंपनी आवेदन सं. 224/66/एनसीएलटी/एएचएम/2017

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 66 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रकरण में

एवं

आदित्य बिरला एपॉक्सी (इंडिया) लिमिटेड की अंश पूँजी की कमी के प्रकरण में

आदित्य बिरला एपॉक्सी (इंडिया) लिमिटेड,)
एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के)
अंतर्गत गठित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बिरलाग्राम, नागदा,)
जिला उज्जैन - 456 331, मध्य प्रदेश में स्थित है.) ...आवेदक कंपनी

सूचना का प्रकाशन

यह सूचना प्राप्त की जा सकती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधान न्यायाधिकरण, अहमदाबाद खंडपीठ के समक्ष दिनांक 17 नवंबर, 2017 को उक्त कंपनी की अंश पूँजी में कंपनी के सेक्युरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में रु. 33,20,59,000 (रुपए तैंतीस करोड़ बीस लाख उनसाठ हज़ार मात्र) की कमी कर उसे शून्य कर उक्त कंपनी की अंश पूँजी की कमी की पुष्टि हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था.

चूँकि 2 नवंबर 2017 को कंपनी में कोई भी ऋणदाता नहीं थे, इसलिए वैयक्तिक ऋणदाताओं को कोई भी सूचना नहीं भेजी गई. दिनांक 2 नवंबर 2017 को कंपनी द्वारा तैयार की गई ऋणदाताओं की सूची (कोई ऋणदाता नहीं) निरीक्षण हेतु कंपनी के पंजीकृत कार्यालय - बिरलाग्राम, नागदा, 456 331, मध्य प्रदेश पर या बी-2, आदित्य बिरला सेंटर, एस.के. अहीरे मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 030 पर दिनांक 1 दिसंबर 2017 से 28 फरवरी 2018 के बीच सभी कार्यदिवसों पर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध है.

अगर कंपनी के किसी ऋणदाता को उक्त आवेदन के संबंध में या ऋणदाताओं की सूची के विवरणों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति को (सहायक दस्तावेजों सहित) एवं उसके नाम व पते के विवरणों एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, के नाम व पते के विवरणों सहित इस सूचना की तिथि के तीन माह के भीतर तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिरलाग्राम, नागदा, 456 331, मध्य प्रदेश पर या बी-2, आदित्य बिरला सेंटर, एस.के. अहीरे मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 030 पर भेजा जा सकता है.

यदि उक्त समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी की अंश पूँजी कम करने हेतु उपरोक्त आवेदन के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों में ऋणदाताओं की सूची में शून्य प्रविष्टियों को सही माना जाएगा.

यह सूचना भी प्राप्त की जा सकती है कि दिनांक 28 फरवरी 2018 को एक सुनवाई निर्धारित की गई है, जिस दिन न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन पर सुनवाई की जाएगी. यदि कोई ऋणदाता इस सुनवाई में शामिल होना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, के साथ एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा.

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 नवंबर 2017

आदित्य बिरला एपॉक्सी (इंडिया) लिमिटेड हेतु

अधोहस्ताक्षरकर्ता: